# छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण कमांक : **M-PRO-2018-00104**

**श्री आशीष केशरवानी विरूद्ध कमलाश्री टावर द्वारा भागीदार श्री सिद्धार्थ गुप्ता**

**प्रोजेक्ट–कमलाश्री इन्क्लेव, जबड़ापारा, जिला–बिलासपुर (छ.ग.)**

| आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान | आदेश अथवा कार्यवाही | पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 11/10/2018 | – प्रकरण प्रस्तुत।<br>– प्रकरण में आवेदक अनुपस्थित।<br>– अनावेदक भागीदार श्री सिद्धार्थ गुप्ता के माध्यम से उपस्थित।<br>– प्रकरण का अवलोकन व परिशीलन किया। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक द्वारा अनावेदक के जबड़ापारा, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) स्थित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में फ्लैट क्रय करने का सौदा किया गया था। प्रश्नाधीन फ्लैट हेतु आवेदक द्वारा अनावेदक को कुल 18,75,000/– रूपये का भुगतान किया जा चुका है। आवेदक एवं अनावेदक के मध्य इस हेतु दिनाँक 10.04.2014 को इकरारनामा निष्पादित किया गया था। प्रस्तुत आवेदन में आवेदक ने अनावदेक द्वारा निर्धारित अवधि में फ्लैट विकास कर प्रदान न करने के कारण उनके द्वारा भुगतान की गई राशि व नियमानुसार अन्य हक दिलाने का अनुरोध किया है।<br>– प्रस्तुत प्रकरण में अनावेदक को आहूत कर उन्हें पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। प्रकरण में सुनवाई के दौरान दिनाँक 26.09.2018 को उभय पक्षों द्वारा आपसी सहमति से प्रस्तुत वाद का निराकरण करने हेतु समय चाहने पर, प्राधिकरण द्वारा उन्हें न्यायहित में अवसर प्रदान किया गया।<br>– प्रकरण में दिनाँक 11.10.2018 को आवेदक ने, अनावेदक के माध्यम से, उभय पक्षों के मध्य आपसी सहमति होने तथा प्राधिकरण के समक्ष विचाराधीन वाद को समाप्त करने हेतु लिखित आवेदन प्रस्तुत किया। साथ ही उभय पक्षों के मध्य दिनाँक 04.10.2018 को निष्पादित नोटराइज्ड समझौते पत्र की छायाप्रति भी प्रस्तुत की है। उक्त समझौते पत्र के गवाह श्री राकेश पमनानी ने उभय पक्षों के मध्य हुए उक्त समझौते की प्राधिकरण के समक्ष पुष्टि भी की है। | |
| छत्तीसगढ़ भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर<br>Gupta | | |

# छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण कमांक : **M-PRO-2018-00104**

**श्री आशीष केशरवानी विरूद्ध कमलाश्री टावर द्वारा भागीदार श्री सिद्धार्थ गुप्ता**

**प्रोजेक्ट–कमलाश्री इन्क्लेव, जबड़ापारा, जिला–बिलासपुर (छ.ग.)**

| आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान | आदेश अथवा कार्यवाही | पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | – प्रस्तुत विचाराधीन प्रकरण में उभय पक्षों के मध्य आपसी राजीनामा होने तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत वाद को निरस्त करने के अनुरोध करने के फलस्वरूप प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की आवश्यकता न होने से प्रकरण समाप्त कर निराकृत किया जाता है।<br>– प्रकरण नस्तीबद्ध करते हुए अभिलेखागार भेजा जावे।<br><br>(नरेन्द्र कुमार असवाल)<br>सदस्य<br>सदस्य<br>भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण<br>छत्तीसगढ़, रायपुर<br><br>(राजीव कुमार टम्टा)<br>सदस्य<br>सदस्य<br>भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण<br>छत्तीसगढ़, रायपुर<br><br>(विवेक ढाँड)<br>अध्यक्ष<br>अध्यक्ष<br>भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण<br>छत्तीसगढ़, रायपुर | |

छत्तीसगढ़ भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण<br>रायपुर